

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-584 / 2001

संस्थित दिनांक-12.10.2001

रूपसिंह पुत्र सरवर सिंह जाति यादव उम्र 57 साल
पेशा काश्तकारी निवासी ग्राम खाकरोन तहसील चंदेरी,
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....परिवादी

विरुद्ध

1. कोमल सिंह पुत्र भीकम सिंह जाति यादव उम्र 65 साल
पेशा खेती निवासी ग्राम खाकरोन तहसील चंदेरी,
2. मलखान सिंह पुत्र भीकमसिंह जाति यादव उम्र 50 साल
पेशा खेती निवासी ग्राम खाकरोन तहसील चंदेरी,
3. श्यामलसिंह पुत्र नामालूम पेशा नौकरी-पटवारी अंतर्गत तहसील
आरोन जिला गुना म0प्र0

.....फौत

.....अभियुक्तगण

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 30.12.2017 को घोषित)

- 01- अभियुक्तगण के विरुद्ध भादवि की धारा 420, 465/34 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 04.03.2000 को परिवादी के साथ छल कारित कर सामान्य आशय का गठन कर उक्त आशय के अग्रसरण में फर्जी राजस्व अभिलेख खतौनी आदि में परिवादी रूपसिंह को नुकसान कारित करने के आशय से मिथ्या दस्तावेज तैयार कर कूट रचना कारित की।
- 02- परिवाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी के पिता सरवर सिंह पुत्र बुद्धसिंह के नाम ग्राम खाकरोन में भूमि सर्वे नंबर 134 रकबा 0.762 एवं सर्वे नंबर 149/02 रकबा 1.672 है, कुल नंबर 2.435 भूमि राजस्व खसरा खतौनी में अंकित थीं, परिवादी के पिता सरवर सिंह की मृत्यु हो चुकी है। दिनांक 26.09.01 को परिवादी ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् संबत् 2056 की खतौनी की नकल पटवारी ग्राम खाकरोन से प्राप्त की, तो उक्त खतौनी में ठहराव क्रमांक 11 दिनांक 04.03.2000 से मृतक सरवर के स्थान पर परिवादी रूप सिंह उसके भाई देशराज सिंह बहन अतल बाई, बिन्नी बाई के नाम सहित अभियुक्त कोमल सिंह व मलखान सिंह के नामांतरण स्वीकार होने की जानकारी हुई, जिसकी प्रविष्टि खतौनी में थीं, वर्तमान पटवारी शंभूदयाल से उक्त प्रविष्टि की जानकारी लेने से ज्ञात हुआ कि

अभियुक्त क्रमांक 3 श्यामसिंह पटवारी के द्वारा उक्त प्रविष्टि की गई है।

- 03— परिवादी ने दिनांक 09.10.2001 को ग्राम पंचायत खागल दुदराई के सचिव से जानकारी प्राप्त की, तो सचिव द्वारा बताया गया कि दिनांक 04.03.2000 को कोई बैठक ही नहीं हुई तथा सरवर सिंह के स्थान पर कोई नामांतरण पंचायत के द्वारा नहीं किया गया। अभियुक्त कोमल व मलखान सिंह से सरवर सिंह का कोई संबंध में नहीं है। अभियुक्तगण ने मिलकर राजस्व रिकार्ड खतौनी में कूट रचना कर सरवर सिंह के वारिसों के साथ कोमल सिंह व मलखान सिंह अभियुक्तगण को भी अंकित करा दिया। जो कि फर्जी इन्द्राज हैं। जिससे अभियुक्तगण कोमल सिंह व मलखान को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। इस घटना की रिपोर्ट परिवादी ने थाना चंदेरी में भी की थी तथा यह परिवादी भादवि की धारा 420, 465, 466 एवं 467/34 के अपराध के तहत अभियुक्तगण पर कार्यवाही किये जाने के लिये न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 04— यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण के विचारण के दौरान अभियुक्त क्रमांक 3 श्याम सिंह पटवारी का देहांत हो जाने के कारण उसके विरुद्ध प्रकरण में चल रही कार्यवाही समाप्त की गई।
- 05— अभियुक्तगण के विरुद्ध अभिलेख पर आये आरोप पूर्व साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उन्हें भादवि की धारा 420, 465/34 के तहत दण्डनीय अपराध को आरोप विरचित कर पढ़ कर सुनाये गये, उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 04.03.2000 को परिवादी के साथ छल कारित किया ?
2.	क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में फर्जी राजस्व अभिलेख खतौनी आदि में परिवादी रूपसिंह को नुकसान कारित करने के आशय से मिथ्या दस्तावेज तैयार कर कूट रचना कारित की ?
3.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

- 07—सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जाकर निष्कर्ष दिया जा रहा है। परिवादी पक्ष की ओर से अपने समर्थन में राजाराम (प0सा0-1) सहित बलदेव सिंह (प0सा0-2) स्वयं परिवादी रूपसिंह (प0सा0-3) व सचिव ग्राम पंचायत जुगल किशोर शर्मा (प0सा0-4) के कथन न्यायालय में कराये गये।
- 08—परिवादी रूपसिंह (प0सा0-3) का परिवाद पत्र के समर्थन में अपने कथनों में कहना है कि उसके पिता सरवर सिंह की ग्राम खाकलौन में 12 बीघा जमीन है, जो दो मेढें है, उक्त जमीन सरवर सिंह के नाम पर थी, जिस पर अभियुक्त कोमल व मलखान ने श्याम सिंह पटवारी से मिलकर 420 कर उनकी जमीन उसके नाम से पर अपना नाम भी चढवा लिया। जिसकी जानकारी उसे वर्ष 2001 में तत्कालीन पटवारी शंभूदयाल से प्राप्त हुई। रूपसिंह (प0सा0-3) के अनुसार कागजों में पंचायत के द्वारा नामांतरण किया जाना लिखा गया था, परन्तु पंचायत सचिव जुगल किशोर (प0सा0-4) से जब उसने जानकारी प्राप्त की, तो जुगल किशोर (प0सा0-4) के द्वारा बताया गया कि दिनांक 04.03.2000 को उनके यहां नामांतरण का कोई प्रस्ताव ही नहीं डला है।
- 09—परिवादी के पिता सरवर सिंह के नाम पर ग्राम खाकलौन पर कौन से सर्वे क्रमांक की भूमि थी तथा किन सर्वे क्रमांकों पर सरवर सिंह की मृत्यु के पश्चात् अभियुक्त कोमल व मलखान का नाम का इन्द्राज किया गया, यह परिवादी ने अपने मुख्यपरीक्षण में भले ही स्पष्ट नहीं किया, परन्तु प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 1 में परिवादी का यह स्पष्ट कहना है कि उक्त भूमि सर्वे क्रमांक 149 एवं 134 थी, जिनका कुल रकबा 12 बीघा का था। परिवादी का यह भी कहना है कि उसका आरोपीगण से कोई संबंध नहीं है और न ही उसके व आरोपीगण के पिता के नाम कभी कोई शामिल जमीन थीं।
- 10—परिवादी रूपसिंह (प0सा0-3) के उपरोक्त कथनों को बचाव पक्ष की ओर से कही कोई चुनौती नहीं दी गई तथा परिवादी रूपसिंह (प0सा0-3) की साक्ष्य इस संबंध में अखण्डित है कि भूमि सर्वे क्रमांक 149 एवं 134 उसके पिता सरवर सिंह के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी, जिस पर सरवर सिंह की मृत्यु के पश्चात् सरवर सिंह वारिसों सहित अभियुक्त मलखान व कोमल का नामांतरण उस समय के पटवारी अभियुक्त क्रमांक-3 श्याम सिंह के द्वारा ग्राम पंचायत के ठहराव के क्रमांक 11 दिनांक 04.03.2000 का हवाला देते हुये खतौनी में किया गया। जबकि ऐसा कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत के द्वारा पारित ही नहीं किया गया।
- 11—परिवादी की ओर से अपने समर्थन में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रकरण क्रमांक 6 अपील/06-07 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2008 की सत्यप्रतिलिपि सहित नयाब तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 3बी121/09-10 में पारित आदेश दिनांक

17.02.2010 की सत्यप्रतिलिपि प्रकरण में प्रस्तुत की गई है तथा वर्ष 2009-10 के खसरा व खतौनी प्रदर्श-पी-6 व 7 की सत्यप्रतिलिपि प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। जो कि ग्राम खाकलौन की भूमि सर्वे क्रमांक 134 व 149 से संबंधित है।

- 12-परिवादी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों की सत्यता को कोई चुनौती अभियुक्तगण की ओर से नहीं दी गई है। लोक दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि होने से उपरोक्त दस्तावेज की सत्यता पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। उपरोक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम खाकलौन की भूमि सर्वे क्रमांक 134 व 149 पर की गई अभियुक्तगण की प्रविष्टि की चुनौती परिवादी के द्वारा राजस्व न्यायालयों में दी गई है, जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रदर्श-पी-4 के आदेश द्वारा अभियुक्त श्यामसिंह के विरुद्ध उपरोक्त की गई प्रविष्टि के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने का आदेश पारित कर उसके द्वारा की गई अभियुक्तगण की प्रविष्टि विलोपित किये जाने का आदेश पारित किया था, जिसके पश्चात् प्रदर्श-पी-5 के आदेश के द्वारा नायब तहसीलदार चंदेरी ने अनुविभागीय अधिकारी के उपरोक्त आदेश के परिणाम स्वरूप राजस्व अभिलेखों में अमल किया, जिसके पश्चात् प्रदर्श-पी-6 व 7 के खसरा व खतौनी अनुसार परिवादी व उसके भाई सहित बहनों की प्रविष्टि उपरोक्त भूमियों पर की गई तथा अभियुक्त मलखान व कोमल का नाम जो अभियुक्त क्रमांक 3 के द्वारा राजस्व अभिलेखों में जोड़ा गया था, विलोपित किया गया।
- 13-जुगल किशोर (प0सा0-4) पंचायत सचिव के द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई है कि प्रदर्श-पी-1 का प्रमाणिकरण उसके द्वारा जारी किया गया है तथा इस साक्षी ने इस बात की भी पुष्टि की है कि दिनांक 04.03.2000 को ग्राम सभा की कोई बैठक नहीं हुई क्योंकि पंचायत चुनावी की लिस्ट नहीं मिली थी। दिनांक 04.03.2000 को ग्राम सभा की बैठक नहीं हुई, इस तथ्य को बचाव पक्ष की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई और न ही इस संबंध में इस साक्षी के द्वारा दिये गये कथनों की सत्यता को कोई चुनौती दी गई।
- 14-अतः परिवादी रूप सिंह (प0सा0-1) की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष्य को कोई विशेष चुनौती न दिये जाने से एवं जुगल किशोर (प0सा0-4) के द्वारा इस बात की पुष्टि किये जाने से दिनांक 04.03.2000 को ग्राम सभा की कोई बैठक नहीं हुई तथा राजस्व न्यायालय के द्वारा यह पाये जाने से कि श्याम सिंह पटवारी के द्वारा जिस प्रस्ताव के आधार पर प्रविष्टि की गई है, उक्त प्रस्ताव गाम पंचायत के द्वारा पारित ही नहीं किया गया तथा श्यामसिंह के द्वारा की गई प्रविष्टि फर्जी है, से यह इस बात पर कोई संदेह की स्थिति नहीं रह जाती है कि अभियुक्त श्याम पटवारी के द्वारा बिना किसी आधार के ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर जो कि ग्राम सभा के द्वारा पारित ही नहीं किया गया, से सरवर सिंह के स्थान पर उसके वारिसों के साथ अभियुक्त मलखान व कोमल के नाम की प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में ग्राम खाकलौन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 134 और 149 पर कर दी थी।

- 15—यदि ग्राम सभा के द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव पारित ही नहीं किया गया तथा ऐसे कोई प्रस्ताव का अस्तित्व ही नहीं है तो निश्चित रूप से श्याम सिंह पटवारी के द्वारा अभियुक्त कोमल व मलखान के नाम से की गई प्रविष्टि कूट रचना की श्रेणी में आती है। जो यह दर्शित करती है कि उक्त प्रविष्टि करने के पीछे अभियुक्त श्यामसिंह पटवारी का आशय सरवर सिंह के वारिसों को नुकसान या क्षति कारित करना था, परन्तु श्यामसिंह की मृत्यु होने के पश्चात् चूंकि उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। अतः शेष अभियुक्तगण मलखान व कोमल के संबंध में यह देखा जाना है कि उक्त प्रविष्टि श्यामसिंह के द्वारा की जाने में इन अभियुक्तगण की क्या भूमिका रही है।
- 16—यह उल्लेखनीय है कि स्वयं परिवादी का अपने परिवाद पत्र एवं न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि उसे श्यामसिंह पटवारी के द्वारा की गई प्रविष्टि की जानकारी शंभूदयाल पटवारी से मिली थीं तथा उसे जुगल किशोर शर्मा (प0सा0-4) के द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि गई प्रविष्टि में जिस प्रस्ताव दिनांक 04.03.2000 का उल्लेख किया गया है, उक्त दिनांक को ग्राम सभा कोई बैठक ही नहीं हुई। अतः परिवादी के कथनों से स्पष्ट है कि जिसे दिनांक को श्याम पटवारी के द्वारा अभियुक्तगण के नाम की प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में की गई, उस दिनांक को या उसके पूर्व परिवादी को यह जानकारी ही नहीं थी कि ऐसी को प्रविष्टि अभियुक्तगण मलखान व कोमल श्यामसिंह से मिलकर कराने वाले है तथा प्रविष्टि होने के बाद उन्हें जानकारी मिली।
- 17—अभियुक्त श्याम सिंह ने मलखान व कोमल के नाम की प्रविष्टि स्वयं अभियुक्त श्यामसिंह व मलखान के कहने पर या उनकी प्रवंचना पर की थीं, यह साबित करने के लिये अभिलेख पर कोई मौखिक एवं दस्जावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त मलखान व कोमल ने स्वयं ग्राम खाकलौन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 134 और 149 पर अपना नामांतरण किये जाने के संबंध में कोई भी कार्यवाही किसी भी स्तर पर स्वयं प्रारम्भ की इस आशय की कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। वर्तमान प्रकरण में भी अभियुक्तगण ने ग्राम खाकलौन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 134 और 149 की भूमि पर अपने स्वत्व को कोई दावा नहीं किया और न ही राजस्व न्यायालय ऐसा कोई दावा किया गया, यह साबित करने के लिये अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध है।
- 18—अभियुक्तगण मलखान व कोमल ने स्वयं नामांतरण हेतु पटवारी श्यामलाल को आवेदन दिया, ऐसा न तो परिवादी का कहना है और न ही इस आशय की अभिलेख पर कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत है। यहां तक की मलखान व कोमल ने उक्त नामांतरण के आधार पर राजस्व न्यायालय या सिविल न्यायालय में कोई अधिकार प्राप्त होने का दावा किया, इस आशय की भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, मात्र राजस्व के प्रकरणों में सूचना पत्र मिलने के उपरांत उपस्थित होना से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि श्यामसिंह पटवारी के द्वारा की गई प्रविष्टि में उनका कोई योगदान था।
- 19—अभियुक्त मलखान व कोमल ने स्वयं फर्जी प्रस्ताव क्रमांक 11 दिनांक 04.03.2000 का हलावा देकर श्याम सिंह पटवारी से या राजस्व न्यायालय से अपना नामांतरण कराने के

लिये कोई प्रयास किया, यह साबित करने के लिये अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्त श्यामसिंह पटवारी के द्वारा मात्र राजस्व अभिलेखों में किसी भूमि पर बिना किसी आवेदन या अनुरोध के मलखान व कोमल का नाम लिख देने से यह साबित नहीं होता है कि श्याम सिंह पटवारी के द्वारा किये गये उक्त कृत्य में अभियुक्तगण मलखान व कोमल की भूमिका रही है। भा0द0वि0 की धारा 420 के अपराध के दो संगठक हैं।

1. किसी व्यक्ति को अभियुक्त के द्वारा प्रवंचित किया जाना।
2. प्रवंचित व्यक्ति को अभियुक्त के द्वारा कपटपूर्ण या बेईमानी से किसी संपत्ति को परिदत्त करने के लिये उत्प्रेरित करना।

20—वर्तमान प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह साबित होता है कि स्वयं परिवादी को प्रविष्टि की जानकारी बाद में शंभूदयाल पटवारी के द्वारा दी गई थी अतः स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के द्वारा परिवादी व उसके परिवार को विवादित भूमि पर अपना नाम चढाने के लिये प्रवंचित ही नहीं किया गया। वहीं अभियुक्त मलखान व कोमल ने श्यामसिंह पटवारी का उक्त प्रविष्टि करने में किसी प्रकार से सहयोग किया या उसे प्रवंचित किया अथवा श्यामसिंह पटवारी के साथ उक्त प्रविष्टि कराने के संबंध में कोई छल किया, यह भी अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है। और यदि अभियुक्त मलखान व कोमल के द्वारा ग्राम खाकलौन स्थित भूमि सर्वे कमांक 134 और 149 पर अपना नाम राजस्व अभिलेखों में फर्जी तौर दर्ज कराने के लिये परिवादी अथवा श्यामसिंह पटवारी को प्रवंचित ही नहीं किया गया, तो मात्र उक्त आधार पर ही अभियुक्त मलखान व कोमल के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 420 के आरोप साबित नहीं होते हैं।

21—जहां तक भा0द0वि0 की धारा 465 का संबंध है, तो उसके संबंध में सर्वप्रथम भा0द0वि0 की धारा 463 में उल्लेखित कूट रचना की परिभाषा एवं धारा 464 में मिथ्या दस्तावेजों की रचना की परिभाषा को देखा जाना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में सर्वप्रथम स्वयं अभियुक्तगण मलखान व कोमल के द्वारा ग्राम खाकलौन स्थित भूमि सर्वे कमांक 134 और 149 पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराने के लिये स्वयं कोई मिथ्या दस्वावेज की रचना की गई, ऐसा न तो परिवादी का कहना है और न ही इस आशय की अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

22—जहां तक श्यामसिंह पटवारी के द्वारा फर्जी प्रस्ताव के आधार पर की गई प्रविष्टि का प्रश्न है तो कूट रचना के अपराध के लिये मात्र यह देखा जाना है कि वास्तव में उक्त प्रविष्टि श्यामसिंह पटवारी से कराने के लिये वास्तव में श्यामसिंह पटवारी को प्रवंचना के साधनों से खतौनी में उक्त प्रविष्टि करने के लिये तैयार किया था, जिसे पटवारी स्वयं नहीं जानता ।

23—उपरोक्त विवेचन एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मलखान और कोमल ने ग्राम खाकलौन स्थित भूमि सर्वे कमांक 134 और 149 को अपने नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के लिये कोई काग़वाही की या कार्यवाही करने का प्रयास किया,

इस आशय की कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं है कि श्यामसिंह पटवारी ने वास्तव में प्रविष्टि कोमल व मलखान की प्रवंचना पर की। अतः ऐसे में मात्र इस आधार पर की अभियुक्त कोमल व मलखान के नाम की प्रविष्टि किसी पटवारी के द्वारा किसी भूमि पर बिना किसी आधार के दर्ज कर दी गई है, से यह इस बात का निश्चायक प्रमाण या उपधारित करने का आधार नहीं माना जा सकता है कि उक्त प्रविष्टि कराने में अभियुक्त मलखान व कोमल की पटवारी श्यामलाल के साथ मिली भगत रही है।

24—स्वयं परिवादी के पास यह साबित करने का कोई आधार नहीं है कि श्यामसिंह के द्वारा की गई प्रविष्टि अभियुक्तगण मलखान व कोमल के द्वारा कराई गई है। परिवादी की ओर से राजाराम (प0सा0-1) व बलदेव (प0सा0-2) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं, जिनका प्रतिपरीक्षण न होने कारण उनकी साक्ष्य वैसे सही साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। परन्तु तर्क के लिये यदि इन साक्षियों के मुख्य परीक्षण को ही विचार में लिया जाये, तो इन दोनों ही साक्षियों को इस बात की कोई व्यक्तिगण जानकारी नहीं है कि अभियुक्त मलखान व कोमल ने पटवारी श्याम सिंह से मिलकर अपने नाम की प्रविष्टि फर्जी तौर पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराई।

25—राजाराम (प0सा0-1) का जहां यह कहना है कि उसे इस संबंध में परिवादी के भाई देशराज ने बताया था। वही बलदेव सिंह (प0सा0-2) का कहना है कि गांव हुई चर्चा के आधार पर उसे इस बात की जानकारी है। अतः परिवादी की ओर से परीक्षण कराये गये उपरोक्त दोनों ही साक्षियों की साक्ष्य इस संबंध में अनुश्रुत है कि मलखान व कोमल की वास्तव में परिवादी की भूमि पर अपने नाम की प्रविष्टि दर्ज कराने में क्या भूमिका रही है, जिससे इन साक्षियों की साक्ष्य आरोपित अपराध साबित करने के लिये पर्याप्त नहीं है।

26—अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर परिवादी पक्ष यह युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा कि अभियुक्तगण मलखान व कोमल ने दिनांक 04.03.2000 को परिवादी अथवा श्यामलाल पटवारी के साथ छल कारित किया तथा परिवादी यह भी साबित करने में सफल नहीं हुआ कि अभियुक्तगण मलखान व कोमल ने सामान्य आशय का गठन कर उक्त आशय के अग्रसरण में फर्जी राजस्व अभिलेख खतौनी आदि में परिवादी रूपसिंह को नुकसान कारित करने के आशय से मिथ्या दस्तावेज तैयार कर कूट रचना कारित की।

27—फलतः अभियुक्त कोमल सिंह पुत्र भीकम सिंह, मलखान सिंह पुत्र भीकमसिंह के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 420, 465/34 के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त कोमल सिंह पुत्र भीकम सिंह, मलखान सिंह पुत्र भीकमसिंह भा0द0वि0 की धारा 420, 465/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

28— अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)